

16/2

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान  
उपखण्ड अधिकारी महोदय बीरे/ अथवा/ अन्य  
रजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 15/7/21  
को पेश हो।

15-7-21

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित  
हैं। शास्ता दिमें जाने के सम्बन्ध में वाद है  
पृथक् अन्य प्रार्थना पत्र की आवश्यकता  
नहीं है अतः 251 'क' धारा के अन्तर्गत  
पृथक् से प्रार्थना पत्र साबहीन होने से  
खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद  
तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवा (बून्दी)

